इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 656] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2022—पौष 8, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 1—42—2017—अड़तीस—1 भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप—नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(8)(क) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने मध्यप्रदेश शासन के शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो तथा जिसने सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो, उसे अधिकतम आयु–सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शासन द्वारा विनिश्चित मानदण्ड के अनुसार, कार्य अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु–सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने परिपत्रों में समय–समय पर यथा नियत आयु से अधिक नहीं होगी।

(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने मध्यप्रदेश शासन के शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक या क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के रूप में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो तथा जिसने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक या क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो, उसे, उसके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर, शासन द्वारा विनिश्चित मानदण्ड के अनुसार और 20 वरीयता अंक की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सत्र के लिए अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक प्राप्त होंगे। वरीयता अंक अंतिम वरीयता सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

उपरोक्त छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित की जाने वाली चयन प्रक्रिया में, उन अतिथि विद्वानों को प्रदान की जाएगी, जो सत्र 2019–20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे थे।

F.No.1-42-2017-XXXVIII-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(8) (a) The candidate who has worked as a guest faculty in Government college of the Government of Madhya Pradesh and who has applied for direct recruitment on the sanctioned post of Assistant Professor, Sports Officer or Librarian, shall be given a relaxation in the maximum age limit upto 5 years, based on work experience, as per criteria decided by the Government, subject to the maximum age limit, which shall not exceed the age as fixed by the General Administration Department in its circulars, from time to time;

(b) The candidate who has worked as a Guest faculty in Government college of the Government of Madhya Pradesh as Assistant Professor or Sports officer or Librarian, and who has applied for direct recruitment on sanctioned post of Assistant Professor of the same subject or Sports Officer or Librarian, shall get maximum 4 additional merit marks for each session based on their work as guest faculty, as per criteria decided by the Government and subject to a maximum limit upto 20 merit marks. The merit marks shall be added at a time of preparation of final merit list.

The above exemption shall be given to those guest faculties who had been working as guest faculty in a Government College in the session 2019-2020 in the selection process to be advertised through Madhya Pradesh Public Service Commission till the year 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरन सिंह भलावी, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.